कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरा-नगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfotef@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 3109 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक - 06-11- , 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण(online no.FP/UK/road/29571/2017)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांकः 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एफ.सी./347 दिनांक–16.12.2022 (संलग्न)।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–450/12–1 दिनांक–21.07.2023 द्वारा शर्तो/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया। अतिथि तक आपके द्वारा आख्या इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है। पुन अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु आपको निम्नानुसार प्रेषित किया जाता हैः–

–सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–4

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकंन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शमिल किए जा सकते है।

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/12–1 दिनांक–01.07.2021 के द्वारा वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक–30.11.1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार उक्त परियोजना हेतु 10 वर्षो के अनुरक्षित के लिये 24.66है0 में वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर 448791.00 रूपये प्रति है0 के अनुसार रूपये 11067186.00(एक करोड़ दस लाख सड़सठ हजार एक सौ छियासी मात्र) की धनराशि का आंकलन किया जाता है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर(रूपये में)	उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि (हैक्टेयर में)	आंकलित धनराशि (रूपये में)
1	2023–24	448791.00	24.66	11067186

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्य

क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी.(pt.2) दिनांक–18.09.2003,5–2/2006–एफ.सी.दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक–05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 12.33 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

Scanned with AnyScanner

उक्त बिन्दु के अनुपालन में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली के पत्रांक –5–3/2011–एफ.सी. दिनांक–06.01.2022 द्वारा वर्तमान में NPV की दरों का पुनः निर्धारण किया गया है,। जिसके अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 12.33 है0 वन भूमि हेतु रु–13771377/–(एक करोड सैंतीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सत्तर रू0 मात्र) की धनराशि आंकलित की गयी है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

S.No.	Eco-class	Open forest (In Rs.)	उक्त परियोजना हेतु वन भूमि (हैक्टेयर में)	आंकलित धनराशि (रूपये में)
1.	I	1116900.00	12.33	13771377

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का का कष्ट करें।

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 3109 /12–1 **दिनांकित**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी।
3. जिलाधिकारी नैनीताल।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांक 3109 /12–1 **दिनांकित**

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आश्य से प्रेषित की जा रही है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दु सं0– 3 का अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 24.66 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बबियाद खसरा सं0–3007,4061 तथा 4062 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिएसे बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिये।

ख) गैर वानिकी भूमि को सात्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन

Scanned with AnyScanner

विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम,1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को ,राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् आख्या प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांक 3109 /12–1 दिनांकित

प्रतिलिपिः– वनक्षेत्राधिकारी गौला को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–6 जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 वृक्षों एवं 257 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटायी की लागत जमा की जाएगी।

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय लौगिंग अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी हल्द्वानी से सम्पर्क कर प्रभावित होने वाले वृक्षों के कटाई की लागत की धनराशि का आंकलन प्राप्त कर उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि प्रयोक्ता अभिकरण को अवगत कराया जा सकें।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

Scanned with AnyScanner